

Rcms
 2018/00033
 27/2/2019

29.10.18
 15/10/18
 29/10/18

(15)

फॉर्म अहकाम
 (नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम पुरुषराज वेल्ड / आसुराम काम
माली निवाली आदी

किस्म मुकद्दमा—राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 19 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/9/18	<p>पटवारी हल्का <u>सड़ा</u> ने रिपोर्ट पेश कर सुचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2075 में मौजा <u>जौधेश्वर नडार</u> के खसरा नं० <u>99</u> रकबा <u>1.18 बीघा</u> किस्म भूमि <u>कौमु कौवा</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>15/10/2018</u> को बमुकाम <u>सिणधरी</u> पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u></p>	
15/10/18	<p>पत्रावली आग सफल हुई। गेर सायल उपस्थित गेर सायल अतिक्रमण दृष्टि से सफल जाहते हैं। जो डीआ कर पत्रावली आईडी दिनांक <u>29/10/2018</u> को पेश है।</p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u></p>	<p><u>पुष्प</u></p>

45.1.19

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पटवारी
हल्का की रिपोर्ट भ्रष्टाचार पत्र का
निरण पत्र जारी है। पत्रावली हल्का
दि 31.01.19 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी

31.1.19

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई।
पटवारी हल्का की रिपोर्ट भ्रष्टाचार
पटवारी हल्का का निरण पत्र
जारी है। पत्रावली आई-डर
दिनांक 27/2/19 का प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी

27/2/19

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पटवारी
हल्का उपस्थित। पटवारी हल्का के
अभिप्रेत हटाने संबंधी मौका रिपोर्ट
प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली का
गई। पत्रावली फसल सुधार हेतु
दफ्तर दारिद्र्य है।

तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2016-19 के राजस्व लेखा पंजीक सं. 4 के
पृष्ठ सं. 16 पर क्र.सं. 1 पर जुमाना/फसल
नित्यामी राशि रु. 2/- की मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

27/2/19
प. सदा